न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या :Gcms No. 2022/218
दायरा तिथि : 21.06.2022
निर्णय दिनांकः 27-9-2022

वादीगण :–

1. चौथी पत्नि फगलूराम
2. फगलूराम पुत्र भीका जातिगण रेबारी
   निवासीगण बेडल तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. दिलीपसिंह पुत्र बलवंतसिंह
2. महेन्द्रसिंह पुत्र बलवंतसिंह तमाम जातिगण राजपुत
   निवासीगण बेडल तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

उपस्थितिः–

1. श्री विजेन्द्रसिंह देवडा व दिनेश गेहलोत ..... अभिभाषक वादी की ओर से से
2. श्री संदीप शर्मा ..... अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से

दिनांक 27-9-2022

–:: निर्णय ::–

वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण ने वाद अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण पेश कर ग्राम बेडल तहसील बाली में धारित की जा रही खातेदारी भूमि खसरा नंबर 24/1 रकबा 3.50 हैक्टर एवं खसरा नंबर 25/1 रकबा 2.84 हैक्टर किस्म बारानी दोयम के उत्तरी दिशा में स्थित भूमि खसरा नंबर 20 रकबा 8.98 हैक्टर के खातेदार प्रतिवादीगण द्वारा उत्तरी माठ पर करीब 4 फीट का अवैध तोर पर अतिक्रमण कर किये गये निर्माण को हटाये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र में वादीगण द्वारा इसका आधार यह बताया गया कि वादीगण की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 01 द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने एवं वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार, बाली के समक्ष आवेदन पेश किया गया। जिस आवेदनपत्र पर तहसीलदार बाली द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान का आदेश जारी किया गया। उस आदेश के द्वारा पटवारी हल्का द्वारा खसरा नंबर 24/1, 25/1 की सर्वे नपाई करने पर खसरा नंबर 24/1 के उत्तरी माठ पर प्रतिवादीगण संख्या–01 द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में करीब 4 फीट अतिक्रमण कर कच्चा पक्का निर्माण किये जाने की पुष्टि पटवारी हल्का ने दिनांक 22.03.2022 की मौका फर्द के जरिये की है। वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या–01 के द्वारा किये गये उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिये पुलिस थाना, फालना में लिखित सूचना दी तथा एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी महोदय एवं तहसीलदार, बाली को दिया गया था, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं होने से वादी द्वारा उक्त वाद वादीगण के खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या–01 द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण से बेदखली बाबत् पेश किया। अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी खैतानी संवत् 2076 से 2079 ग्राम बेडल के खसरा नंबर 24/1, प्रमाणित प्रतिलिपी नक्शा ट्रैस ग्राम बेडल खसरा नंबर 24/1, 25/1, 20 की प्रति, फर्द मौका पटवारी हल्का, बेडल द्वारा पैमाईश के दौरान् दिनांक 22.03.2022 को तैयार कर तहसीलदार, बाली को प्रस्तुत की गई। नजरी नक्शा जिसमें अवैध अतिक्रमण कर कच्चा पक्का निर्माण किया गया है। तथा वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में स्वयं का शपथ पत्र भी पेश किया। प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप शर्मा ने जवाब पेश किया। अपने जवाब में ग्राम बेडल में स्थित भूमि खसरा नंबर 20 रकबा 8.98 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की संयुक्त पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होना तथा वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 24/1 पास में होना स्वीकार किया, परन्तु जवाब में प्रतिवादीगण व वादीगण की भूमियो के बीच में कदीम से धोरा माठ स्थित होना तथा पुश्तैनी माठ के अनुसार स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 20 पर ही पशुओ को बांधने के लिये कच्चे शैड का निर्माण किया गया। वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 24/1 की भूमि में न तो प्रवेश किया है एवं न ही अतिक्रमण किया है। अपने जवाब में यह भी उल्लेखित किया गया कि वादीगण द्वारा कभी भी वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 24/1 एवं 20 के पैमाईश एवं सीमा ज्ञान के लिये राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 128 के लिये सक्षम अधिकारी भूमिधारी तहसीलदार, बाली को आवेदन नहीं किया गया। अपितु तहसीलदार, बाली को एक मनगढन्त साधारण आवेदन पत्र बाबत् वादीगण की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा, अतिक्रमण कर निर्माण करने सबंधी प्रस्तुत किया गया।

पेज लगातार.....02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :Gcms No. 2022/218
अनवान चौथी वगैरा बनाम दिलीपसिंह वगैरा
वाद अंतर्गत धारा 183राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार, बाली द्वारा दिनांक 23.02.2022 को जॉच के लिये पटवारी हल्का, बेडल को भिजवाया गया। पटवारी हल्का बेडल द्वारा दिनांक 22.03.2022 को वादग्रस्त भूमियो का मौका निरीक्षण कर मौका फर्द तहसीलदार, बाली को प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि पर लगभग 3–4 फीट की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा करना अंकित किया गया है जो हास्यास्पद एवं कतई स्वीकार योग्य नहीं हैं। बिना सम्पूर्ण क्षैत्रफल यथा खसरा नंबर 24/1 एवं 20 की पैमाईश कर सीमा तय कर सीमाज्ञान करवाये 3–4 फीट का अतिक्रमण पटवारी द्वारा दर्शित किया जाना कतई कानूनन उचित नहीं है। वादीगण द्वारा वाद गलत तथ्यों को अंकित कर मात्र मौका जॉच के आधार पर 3–4 फीट भूमि पर प्रतिवादीगणों का अतिक्रमण दर्शित करते हुएवाद प्रस्तुत किया है, जबकि मात्र 3–4 फीट के अतिक्रमण का विनिश्चयन बिना संपूर्ण भूमि की माठ सीमा निर्धरित किये तय नहीं किया जा सकता है। तब तक वादीगण का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत होने पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील वादी श्री विजेन्द्रसिंह देवडा द्वारा बहरा में वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बेडल के खसरा नंबर 24/1 की भूमि में जबरदस्ती अतिक्रमण करने से वादीगण द्वारा अपनी भूमि की पैमाईश करवाने के लिये आवेदन तहसीलदार, बाली को प्रस्तुत किया। तथा तहसीलदार, बाली द्वारा उक्त आवेदन पत्र पटवारी हल्का, बेडल को जांच व कार्यवाही के लिये भिजवाये जाने पर पटवारी हल्का, बेडल द्वारा जांच के दौरान् दिनांक 22.03.2022 को एक मौका फर्द भी बनाई, जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के दक्षिण पश्चिमी सीमा पर खडे सीमा द्योतक चिन्ह से आगे वादीगण की खातेदारी भूमि पर 3–4 फीट का कब्जा मानते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस प्रकार वादीगण की भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि पटवारी हल्का, बेडल द्वारा तैयार रिपोर्ट में होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्व बेदखली की डिक्री जारी किये जाने की दलील दी गई। वकील वादीगण की दलीलो का खण्डन करते हुये अधिवक्ता प्रतिवादी श्री संदीप शर्मा द्वारा बहस में जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि वादीगण द्वारा राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 128 के तहत किसी प्रकार का आवेदन सक्षग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। मनगढन्त तथ्यो को दर्शित करते हुये तहसीलदार, बाली के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा 4 फीट पर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुये तहसीलदार, बाली के विरूद्व विधिक प्रावधानो के विपरित आवेदन पेश किया गया। जिस प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का, बेडल द्वारा मौका जांच करते हुये 4 फुट वादीगण की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण करना उल्लेखित किया है, जो न्याय संगत नहीं है। जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनो पक्षो की खातेदारी भूमियो का सीमांकन नहीं हो जाता तब तक प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण 4 फुट की भूमि पर अवैध अतिक्रमण माना जाना न्याय संगत नहीं है। जिससे वादीगण का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार तथ्य हैं कि ग्राम बेडल स्थित भूमि खसरा नंबर 24/1 व 25/1 कुल रकबा 6.34 हैक्टर वादीगण की खातेदारी भूमि है एवं ग्राम बेडल के खसारा नंबर 20 रकबा 8.98 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है। वादीगण का दावा हैं कि प्रतिवादीगण जो कि वादीगण के पडौसी खातेदार है, उनके द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि खसारा नंबर 24/1 के उत्तरी माठ पर जगभग 4 फीट भूमि पर जबरदस्ती अतिक्रमण किया है। जिसा अतिक्रमण की पुष्टि पटवारी हल्का, बेडल द्वारा जांच के दौरान् दिनांक 22.03.2022 को तैयार मौका फर्द से होती है। उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिये वादीगण द्वारा उक्त वाद पेश किया है, अतः धारा 183 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्व बेदखली की डिक्री पारित की जावे। इसके विपरित प्रतिवादी पक्ष का दावा हैं कि उनके द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि के किसी भू0 भाग पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। वादीगण व प्रतिवादीगण दोनो पक्षो की खातेदारी भूमियो का सीमांकन हुये बिना इस तथ्य की पुष्टि नहीं हो सकती है कि वादीगण की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण किया है। प्रकरण में यह भी स्वीकार्य तथ्य हैं कि वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा जबरदस्ती प्रवेश कर निर्माण करने से वादीगण द्वारा तहसीलदार, बाली के समक्ष वादीगण की खातेदारी भूमि की पैमायश कर प्रतिवादी पक्ष द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने का आवेदन पेश किया गया। जिसा आवेदन पत्र को तहसीलदार, बाली द्वारा पटवारी हल्का, बेडल को जांच व कार्यवाही के लिये भिजवाये जाने पर पटवारी हल्का, बेडल द्वारा दिनांक 22.03.2022 को मौके पर जांच कार्यवाही करते हुये मौका फर्द भी बनाई गई।

पेज लगातार.....03

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :Gcms No. 2022/218
अनवान चौथी वगैरा बनाम दिलीपसिंह वगैरा
वाद अंतर्गत धारा 183राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पटवारी हल्का, बेडल द्वारा तैयार की गई मौका फर्द एक अधिकृत दस्तावेज है, जिस मौका फर्द में पटवारी हल्का, बेडल यह वर्णित करते हैं कि दिलीपसिंह पुत्र बलवंतसिंह वगैरा की सह खातेदारी भूमि बेडल के खसरा नंबर 20 रकबा 8.98 हैक्टर एवं वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 24/1 के बीच माठ का विवाद होने से प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि का दक्षिण पश्चिमी सीमा में सरहद पर खडे सीमा द्योतक चिन्ह से फगलूराम पुत्र भीकाजी व दिलीपसिंह पुत्र बलवंतसिंह जाति राजपूत के बीच की सीमा का मौके पर पैमाईश की गई। जहॉ पर मौके पर लगभग 3–4 फीट की भूमि दिलीपसिंह पुत्र बलवन्तसिंह राजपूत द्वारा नींव भरकर पत्थरो से लगभग 2 फीट ऊॅची कुर्सी भर कर कब्जा किया है। कब्जा कर्ता दिलीपसिंह पुत्र बलवन्तसिंह को राजस्व रेकर्ड अनुसार धोरा पाली बाड आदि करने हेतु समझाईस की गई। इस प्रकार प्रतिवादीगण की यह आपत्ति मानने योग्य नहीं हैं कि दोनो पक्षो की भूमियो का सीमांकन किये बिना सही स्थिति ज्ञात नहीं हो सकती। पटवारी हल्का, बेडल की मौका फर्द यह साबित करती हैं कि उनके द्वारा सरहद पर खडे सीमा घोतक चिन्ह से फगलूराम पुत्र भीकाजी व दिलीपसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति राजपूत के बीच की सीमा की मौके की पैमाईश की गई। जिससे प्रतिवादी पक्ष की आपत्ति सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रतिवादीगण के विरूद्व बेदखली की डिक्री जारी किया जाना न्यायसंगत है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। पटवारी हल्का, बेडल की मौका फर्द दिनांक 22.03.2022 के अनुसार वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 24/1 के उत्तरी माठ पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये 3–4 फीट के अतिक्रमण से प्रतिवादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के तहत बेदखली के आदेश दिये जाते है। पटवारी हल्का, बेडल की मौका फर्द दिनांक 22.03.2022 को निर्णय व डिक्री का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय पालना के लिये तहसीलदार, बाली को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 27-5-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.

वादीगण :–

1. चौथी पत्नि फगलूराम
2. फगलूराम पुत्र भीका जातिगण रेबारी
   निवासीगण बेडल तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. दिलीपसिंह पुत्र बलवंतसिंह
2. महेन्द्रसिंह पुत्र बलवंतसिंह तमाम जातिगण राजपुत
   निवासीगण बेडल तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :Gcms No. 2022/218
वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। पटवारी हल्का, बेडल की मौका फर्द दिनांक 22.03.2022 के अनुसार वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 24/1 के उत्तरी माठ पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये 3–4 फीट के अतिक्रमण से प्रतिवादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के तहत बेदखली के आदेश दिये जाते है। पटवारी हल्का, बेडल की मौका फर्द दिनांक 22.03.2022 को निर्णय व डिक्री का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.09.2022 को जारी किया गया।

मोहर

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना,)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner